



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 1051 - का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29 /पाकालि /2020-04-काविनी/20 दिनांक 16 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय : - उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में, प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित निर्धारित सेवा शर्तों में बाण्ड मनी/ सेवा अनुबन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को सम्पन्न 159(50)वीं बैठक में उपरोक्त विषय पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते हैं :-

- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा-शर्तों में बाण्ड-मनी जमा करने के रूप में 'सेवा अनुबन्ध-पत्र' निष्पादित किये जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किया जाता है।
- उपरोक्त 'सेवा अनुबन्ध-पत्र' (प्रारूप एवं निर्देश संलग्न) समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में निष्पादित किया जायेगा।
- 'सेवा अनुबन्ध-पत्र' निष्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में बाण्ड-मनी की धनराशि निम्नांकित दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है :-

क्रम सं०	सीधी भर्ती के पद का ग्रेड-वेतन/ (सातवें वेतन आयोग का पे-मैट्रिक्स लेवल)	निर्धारित बाण्ड मनी
1	ग्रेड-पे रू० 2600/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-4)	रू० 75,000/-
2	ग्रेड-पे रू० 3000/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-5)	रू० 75,000/-
3	ग्रेड-पे रू० 4200/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-6)	रू० 1,00,000/-
4	ग्रेड-पे रू० 4600/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-7)	रू० 1,50,000/-
5	ग्रेड-पे रू० 4800/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-8)	रू० 1,50,000/-
6	ग्रेड-पे रू० 5400/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-10)	रू० 2,00,000/-
7	ग्रेड-पे रू० 8900/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-13)	रू० 3,00,000/-

- सीधी भर्ती के प्रारम्भिक पद पर चयनोंपरान्त सम्बन्धित कार्मिक को 01 माह अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा दिया जायेगा एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक सम्बन्धित कार्मिक को ऑन जॉब ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) पर माना जायेगा।
- इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड-वेतन के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह) के अतिरिक्त अग्रेतर 02 वर्ष की सेवा सहित अर्थात् 03 वर्ष से पूर्व कारपोरेशन की सेवायें छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित 'सेवा अनुबन्ध-पत्र' के अनुसार निर्धारित बाण्ड-मनी एवं जी०एस०टी० (लागू दर से) कारपोरेशन में जमा करनी होगी।

(क्रमशः... 2)

(2)

(vi) **शिथिलता** – सेवा प्रारम्भ/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के मध्य यदि अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रकृति की सेवाओं में चयनित होने पर कारपोरेशन की सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है तो उक्त सेवा में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित बॉण्ड मनी जमा करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी :-

(क) भारत सरकार से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयन होने की दशा में।

(ख) राज्य सरकार के उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के फलस्वरूप किसी पद पर चयन होने की दशा में।

(vii) सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये जाने का उपरोक्त प्राविधान सम्बन्धित संवर्गों की नियुक्ति विषयक सेवा शर्तों में समावेशित समझा जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या: 1051-(1)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को-कानपुर।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को सम्पन्न 159(50) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(रकिश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)

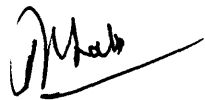
सेवा अनुबन्ध-पत्र

इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/- मूल्य के नान-जुडिशियनल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षों तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि में कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बाण्ड मनी रू0 + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त का बाण्ड मनी रू0 + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि हेतु प्रतिभू (Guarantee) उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

- (ख) (1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।
- (2) यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षों की सेवावधि अर्थात् कुल-04 वर्षों की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।



1

बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्ध:-

1. बन्ध पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/- के स्टाम्प पेपर 1 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/- हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की काट-छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय को ही स्वयं करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र" जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए।
9. यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षों की सेवावधि अर्थात् कुल-04 वर्षों की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।



(कार्मिक द्वारा रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री
 पुत्र/पुत्री श्री अस्थायी जो उ0प्र0
 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0-..... दिनांक में वर्णित
 शर्तों के अधीन सेवा कर रहे हैं। (एतदपश्चात् "....." कहलायेंगे) एवं
 श्री पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी (एतदपश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्वारा आबद्ध
 होते हैं कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत
 रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतदपश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर
 रू0 + जी0एस0टी0 (लागू दर से) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे।

दिनांक मास वर्ष.....

हस्ताक्षरित

कार्मिक के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने का नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थायी
 के रूप में नियुक्त किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वासन करने के आशय से कि स्वयं अपनी ओर से
 कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में के
 रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात् तक नहीं छोड़ेगा, यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है,
 अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात्
 उसके नियमित संवर्ग में के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात् तक कारपोरेशन
 की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस
 दशा में और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर बन्ध-पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब
 भुगतान करेंगे तथा उसके (.....) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के
 उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र
 की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी :

- 1.
- 2.

हस्ताक्षरित

अभियन्ता

प्रतिभू

